न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

निर्णय द्वारा अध्यासित बिष्णु चरण मल्लिक आई॰ए॰एस

प्रकरण संख्या **61/2016** अपील (राजस्व)

1. श्री भानु प्रतापसिंह पिता श्री उदयसिंह राजपुत, निवासी नीमज, तहसील जेतारण, जिला पाली (राज.)
2. श्रीमती सुरज कुँवर पत्नि श्री भानुप्रतापसिंह राजपूत, निवासी नीमज, तहसील जेतारण, जिला पाली (राज.)

—— **अपीलान्टगण**

बनाम

1. राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय वरड़ा, जरिये प्रधानाध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, वरड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

—— **रेस्पोडेन्टगण**

अपील बनाराजगी ग्राम वरड़ा के नामान्तरकरण संख्या 301 दिनांक 16.01.2004 अधिनस्थ न्यायालय उपतहसीलदार बारापाल, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

उपस्थित : 1. श्री अजयसिंह हाड़ा, अधिवक्ता अपीलान्टगण
2. श्री नरपतसिंह चुण्डावत, विपक्षी संख्या 1

निर्णय

दिनांकः—.....

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्टगण के स्वत्वहीत खातेदारी की कृषि भूमिया एवं आवासीय मकान ग्राम वरड़ा में स्थित है जिनमें आने जाने का एकमात्र रास्ता सरकारी बिलानाम गैर काबिल काश्त भूमि हाल आराजी संख्या 2692 रकबा 0.9800 हैक्टर एवं आराजी संख्या 3393 रकबा 0.

0550 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 1.0350 हैक्टर से होकर गुजरता हैं। उपरोक्त रास्ता पीढियो पुराना होकर आज भी मौके पर जैसा का तैसा स्थित हैं। कदीमी रास्ते को माननीय जिला कलक्टर उदयपुर के आदेश दिनांक 16.11.01 के माध्यम से स्कुल मैदान के रूप में नामान्तरकरण करते हुए दिनांक 16.01.2004 को प्रश्नगत नामान्तरकरण संख्या 301 अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार साहब बारापाल, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर द्वारा पारित फरमा दिया गया जिससे उपरोक्त दोनो ही आराजीयात रेस्पोडेंट संख्या 1 के नाम स्कुल मैदान के रूप में दर्ज कर दी गई है जबकि उपरोक्त आराजीयात से होकर कदीमी रास्ता निकलता हैं। प्रश्नगत नामान्तरकरण में उपरोक्त रास्ते बाबत कोई अंकन नहीं कर सम्पूर्ण भूमि को रेस्पोडेंट संख्या 1 को हस्तान्तरण कर दिया गया जिसकी जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 25.10.16 को हुई।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरकरण संख्या 301 दिनांक 16.01.04 को बिना मौके की रिपोर्ट मंगवाये बिना जॉच के प्रमाणित कर भूमि रेस्पोडेंट संख्या 1 के पक्ष में दर्ज कर दी गई। जबकि इस भूमि का उपयोग उपभोग अपीलान्टगण एवं अन्य आमजन द्वारा कदीम से किया जाता रहा हैं तथा लोग पीढी दर पीढी से रास्ते का उपयोग करते चले आ रहे हैं। सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमि को किसी भी स्थिति में आवंटन नहीं की जा सकती हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना भौतिक कब्जे की जानकारी किये केवल मात्र कार्यालय में बैठे बैठे बिना कोई रिपोर्ट मंगवाये नामान्तरकरण तस्दीक कर दिया गया। अतः कृपया अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 301 दिनांक 16.01.04 को निरस्त फरमाया जावें।

अपनी अपील के साथ में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मयाद अधिनियम का भी प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली हैं।

साथ ही एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा.दी. का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रश्नगत नामान्तरकरण के स्वीकृत होने की कोई जानकारी प्रार्थी/अपीलान्ट को नहीं रही। नाही उसे पक्षकार बनाया गया। नाही प्रार्थी को सुना गया। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण के संवैधानिक एवं रास्ते पर आने जाने एवं निर्बाध रूप से उपयोग उपभोग करने के हक अधिकार की अवहेलना हुई

हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति फरमायी जावें।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिवक्ता विपक्षी द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे ही बहस की गई।

उपस्थित अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपने तर्क में निवेदन किया कि मौजा वरड़ा की आराजी संख्या 2692 रकबा 0.9800 हैक्टर एवं आराजी संख्या 3393 रकबा 0.0550 हैक्टर कुल किता 2 रकबा 1.0350 हैक्टर किस्म रास्ता होकर इसका उपयोग पीढी दर पीढी अपीलार्थी के परिवार के लोग व अन्य आमजन करते आ रहे हैं। परन्तु जिला कलक्टर महोदय के आदेश दिनांक 16.11.01 को उक्त भुमि का आवंटन रेस्पोडेंट के पक्ष में किया जाकर नामान्तरकरण संख्या 301 दिनांक 16.01.04 से दर्ज कर दिया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरकरण दर्ज करने से पूर्व किसी प्रकार की मौके की जॉच नहीं की गई। अतः कृपया मौके की जॉच करवाकर नामान्तरकरण संख्या 301 दिनांक 16.01.04 को निरस्त किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

विद्ववान अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 द्वारा निवेदन किया कि अपीलीय नामान्तरकरण श्रीमान जिला कलक्टर महोदय के आदेश क्रमांक प. 12/3/राज/आवं./2001/3064–71 दिनांक 05.11.01 एवं तहसील के आदेश क्रमांक राजस्व/2001/1715 दिनांक 16.11.01 की पालना में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा खोला गया हैं। अपीलीय नामान्तरकरण खोलने में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कोई कानुनी त्रुटी नहीं की हैं। वैध आदेश की अनुपालना में नामान्तरकरण खोला गया हैं। अपीलान्टगण को यदि कोई आपत्ति हो तो वह मूल आदेश के तहत अपील करने हेतु स्वतंत्र हैं। परन्तु अपीलीय नामान्तरकरण की अपील करने की कोई गुंजाईश कानुन में नहीं हैं। अतः अपील अपीलार्थी खारीज करना फरमावें।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अपीलार्थीगणो का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा.दी. का स्वीकार किया जाकर प्रकरण कि सुनवाई विधिवत की जाकर प्रकरण का

निस्तारण गुणावगुण पर किया जा रहा हैं। प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलाधीन नामान्तरकरण वैध आदेश की अनुपालना में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा फैसल किया गया हैं। नामान्तरकरण के कॉलम संख्या 14 में आदेश का स्पष्ट उल्लेख अंकित हैं। जहॉ तक अपीलार्थीगण का यह कथन कि रेस्पोडेंट संख्या 1 के पक्ष में आवंटीत भूमि रास्ता होकर अपीलार्थीगण एवं अन्य आमजन कदीम से इस रास्ते का उपयोग सार्वजनिक रूप से करते आ रहे हैं। परन्तु संलग्न नामान्तरकरण में दर्ज आराजीयात किस्म पहाड़ व मगरी हैं। रास्ता नहीं हैं। तो इसका उपयोग इनके द्वारा किस प्रकार किया जा रहा हैं। इस कथन का सत्यापन उनके द्वारा साक्ष्य सबुत से नही करवाया गया हैं।

बहस पर मनन करने के उपरान्त न्यायालय का मत है कि अपीलीय नामान्तरकरण अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वैध आदेश के तहत खोला गया हैं। नामान्तरकरण खोलने में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कोई कानुनी त्रुटी नहीं की गई हैं। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय के आदेश ग्राम वरड़ा के नामान्तरकरण संख्या 301 दिनांक 16.01.04 अधिनस्थ न्यायालय उपतहसीलदार बारापाल द्वारा खोला गया हैं जो सही होने से उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप किये जाने की कोई गुंजाईश नहीं होने से अपील अपीलार्थी खारीज की जाती हैं।

पत्रावली फैसल शुमार हों।

(बिष्णु चरण मल्लिक)
जिला कलक्टर
उदयपुर